



2.06.18  
अभिलेख उपस्थापित।

आवेदक जीरू शेख की ओर से वाद को स्वेच्छा से वापस लेने हेतु आवेदन दाखिल किया गया है। साथ ही आवेदक द्वारा भारतीय स्टेट बैंक, साहेबगंज में जमा राशि को वापस भुगतान कराने का प्रार्थना भी किया गया है। जीरू शेख, पिता- स्व० निजाब शेख, सा०- अजहरटोला, पो०- पलासगाछी, थाना- राधानगर, जिला- साहेबगंज के द्वारा इस न्यायालय के आदेश दिनांक 18.05.2017 के आलोक में प्रियम्पशन वाद सं० 01/2017-18 में चालान के द्वारा 1,10,000.00 (एक लाख दस हजार) रू० जमा किया गया है। इस वाद की कार्रवाई दिनांक 21.05.2018 को समाप्त हो चुकी है। फलस्वरूप आवेदक भारतीय स्टेट बैंक, साहेबगंज में जमा राशि 1,10,000.00 (एक लाख दस हजार) रू० का निकासी कर प्राप्त कर लें।

अतएव उप कोषागार पदाधिकारी, राजमहल को आदेश दिया जाता है कि इस वाद में जमा राशि आवेदक जीरू शेख को उचित पहचान कर उपलब्ध करा दें।

लेखापित एवं संशोधित


  
भूमि सुधार उपसमाहर्ता  
राजमहल

  
भूमि सुधार उपसमाहर्ता  
राजमहल।

ज्ञापांक.....4.5./भू०सु०, राजमहल दिनांक.....7.6.18.....

प्रतिलिपि-  उप कोषागार पदाधिकारी, राजमहल को आवश्यक कार्रवाई हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- जीरू शेख, पिता- स्व० निजाब शेख, सा०- अजहरटोला, पो०- पलासगाछी, थाना- राधानगर, जिला- साहेबगंज को सूचनार्थ प्रेषित।

  
भूमि सुधार उपसमाहर्ता  
राजमहल।